संख्या-13/2017/215/18-4-2019-21(विविध)/14

प्रेषक,

शैलेन्द्र नाथ शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः ०७मई,2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत उ0प्र0 हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014 योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर के पत्र संख्या-45/13-हस्त0/बजट/2019-20, दिनांक 9.4.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उ0प्र0 हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014" योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही किया जायेगा। उक्त धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य हेतु किसी अन्य योजना से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है।

4- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाता आदि में जमा नहीं किया जायेगा। तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानको (स्टैण्डर्डस ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चत किया जायेगा।

7- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019-बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार उ0प्र0 हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014 की व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन हेतु उक्त धनराशि व्यय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8- स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

9-स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 प्रयागराज तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-10-"उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014-20-सहायता-अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019-बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-215/(1)/18-4-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
3-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)सी0ए0एस0एस0-3/ टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।